

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

जवानसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत  
सा. लोरा का बास तह. कुचामन

बनाम

भगवानसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत वगै.  
सा. लोरा का बास तह. कुचामन

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 0130/2023 (170/2023)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
03.10.2023	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.11.2023 को पेश हो।</p> <p>6/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 24/11/24 को पेश हो।</p> <p>24/11/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवान फिलार्ड गई जिसके बावजूद की अनुपस्थित रहे हैं। अतः वादी का वाद-पत्र अकम शजती व अकम पैली में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम ही व दाखिल रफ्तार है।</p>	<p>(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>

